

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 1999 (फाल्गुन 18, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

(2) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 तथा आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगी.

### 3. नियम 139 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुधाकर राव बापट, सदस्य, सागर जिले के आगासोद में निर्माणाधीन रिफायनरी द्वारा विस्थापित कृषकों को मुआवजा राशि न दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री ओंकार प्रसाद तिवारी, अजय विश्‍नोई, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, जबलपुर जिले के पाटन में एक छात्रा द्वारा आत्मदाह किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम परमण्डल में हाई स्कूल खोले जाने;

(2) श्री सुधाकर राव बापट, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम शिकारगंज के भूमिहीन कृषकों को काबिज भूमि का पट्टा वित्ताये जाने;

(3) श्री वृन्दावन बड़गाइयां, सदस्य, सतना जिले के ग्राम बठिया से चौरहटा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने; तथा

(4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर के -

(क) अशोका गार्डन से रेल्वे स्टेशन तक सड़क बनाये जाने;

(ख) सुभाष नगर रेल्वे क्रॉसिंग पर पुल बनाये जाने;

(ग) ऐशबाग स्टेडियम के पास रेल्वे क्रॉसिंग पर पुल बनाये जाने; तथा

(घ) छोला रोड रेल्वे क्रॉसिंग पर पुल बनाये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

### 5. वक्तव्य

(1) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, दिनांक 23 फरवरी, 1999 को पूछे गये -

(क) तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 1853), तथा

(ख) तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 3360),

के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगी.

(2) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, उद्योग मंत्री, दिनांक 23 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक 963) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

### 6. विश्वविद्यालयों की सभाओं (कोर्ट) के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्विष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये क्रमशः आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हों :-

- (1) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
- (2) गुरू चासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
- (3) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
- (4) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
- (5) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- (6) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
- (7) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन तथा
- (8) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल."

### 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 6 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

निर्धारित  
समय  
2 घन्टे

### 8. वर्ष 1999-2000 की अनुषानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

2 घन्टे	(1) मांग संख्या 13 मांग संख्या 17 मांग संख्या 40 मांग संख्या 52 मांग संख्या 54	कृषि सहकारिता आयुक्त कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
2 घन्टे 30 मि.	(2) मांग संख्या 24 मांग संख्या 42 मांग संख्या 43 मांग संख्या 67 मांग संख्या 68 मांग संख्या 89	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल खेल और युवक कल्याण लोक निर्माण कार्य-भवन आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1 घन्टा	(3) मांग संख्या 21 मांग संख्या 73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
2 घन्टे	(4) मांग संख्या 11 मांग संख्या 46 मांग संख्या 56 मांग संख्या 78	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय विज्ञान और टेक्नालॉजी ग्रामोद्योग ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.

भोपाल :  
दिनांक : 8 मार्च, 1999

के.पी. तिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा